प्रकरण संख्या 09/2020 गुलाब व अन्य बनाम तोला व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.10.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण स्वर्गीय रूपा पिता धुलिया के पुत्र होकर विधिक उत्तराधिकारी हैं, जिसके खाते की आराजी नंबर 13/1 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि ग्राम जानामेडी, तहसील बांसवाड़ा में स्थित है। उक्त आराजी पर कब्जा वादीगण का ही अपने पिता के समय से चला आ रहा हैं, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का कभी कब्जा नहीं रहा, किन्तु संवत् 2023 से 2026 के राजस्व अभिलेख में बिना किसी आदेश की रूपजी पिता धुलिया के नाम के आगे क्रोस कर धुलिया पिता खेमा दर्ज कर दिया है, जबकि धुलिया पिता खेमा वादीगण के परिवार का सदस्य नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता धुलिया ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर खाते में अपना नाम दर्ज करवा लिया है तथा धुलिया की मृत्यु पश्चात् विरासत से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का नाम दर्ज हो गया है, जो वादीगण के हित व अधिकारों के विपरीत होकर प्रभाव शून्य है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर आराजी नंबर 13/1 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेखों से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का नाम हटाया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 18.02.2020 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील दिनांक 22.09.2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश द्विवेदी उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:14:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा दिनांक 18.02.2020 को निर्णय पारित किया गया, जबकि दिनांक 20.07.2020 को सुनाया गया। अपीलान्टगण द्वारा जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/वादीगण को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। विवादित आराजी संवत् 1999 से 2022 तक अपीलान्टगण के पूर्वज रूपा के खातेदारी में दर्ज रही है, परन्तु संवत् 2023 से 2026 में बिना किसी आदेश के रूपजी के नाम के आगे क्रोस कर धुलिया का नाम अंकित कर दिया गया है तथा धुलिया की मृत्यु पश्चात् रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 का नाम अंकित हो गया है, जो बिना किसी आदेश के होने से त्रुटि पूर्ण होकर अपास्त योग्य है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा अपीलान्ट/वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष उन्हें दिलाया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि जमाबन्दी में शुरू से तोला का नाम दर्ज था तथा इससे पूर्व की खसरा गिरदावरियों में भी तोला का नाम दर्ज था। अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। खसरा गिरदावरी संवत् 2011 से 2014 खातेदार अभिधारी के कॉलम में श्रीमती मॉझी साहेब का नाम तथा उप कृषक के कॉलम में अपीलान्ट/वादीगण के पिता रूपजी पिता धुलिया का नाम दर्ज है। इसी प्रकार [illegible] संवत् 2018 से 2022 में किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:14:03 IST
Reason: SelfAttested

हुआ है। संवत् 2023 से 2026 की खसरा गिरदावरी में रूपजी पिता धुलिया के नाम के आगे क्रोस का चिन्ह लगाकर नीचे धुलिया पिता खेमा अंकित है। खसरा गिरदावती संवत् 2027 से 2030 में धुलिया पिता खेमा अंकित है तथा जमाबन्दी संवत् 2027 से 2030 में भी रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता धुलिया पिता खेमा का नाम अंकित है। इसके पश्चात् की जमाबन्दियों में भी धुलिया पिता खेमा तथा धुलिया की मृत्यु पश्चात् उसके वारिसान रेस्पोन्डेन्ट/ प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का नाम अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय ने हालांकि रेकार्ड अनुसार ही निष्कर्ष निकाला कि मात्र खसरा गिरदावरियों में अपीलान्ट/वादीगण के पूर्वाधिकारी का नाम दर्ज है, जबकि काश्तकार के रूप में नाम अंकन हेतु जमाबन्दी ही रेकार्ड ऑफ राईट होती है, खसरा गिरदावरी मात्र इसका प्रमाण है कि काश्त किस व्यक्ति द्वारा की जा रही है। परन्तु साथ ही यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय में न तो उपस्थित हुए हैं, न ही उनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्रतिवादीगण के पिता धुलिया का नाम किस आधार पर दर्ज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने जमाबन्दी में प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट का नाम दर्ज होने के आधार पर अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 30/2017 निर्णय एवं डिक्री 18.02.2020 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनकर एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देकर साक्ष्यों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 27.12.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
[illegible]त राजस्व अपील अधिकारी
[illegible]पुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:14:03 IST
Reason: SelfAttested